



2026:AHC-LKO:1037-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 711/2023

राम बचन

...याचिकाकर्ता/कर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – देव प्रकाश श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कृष्ण कुमार तिवारी, पंकज गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

- यह जनहित याचिका वर्ष 2023 में विरोधी पक्षकार संख्या 7 को दिए गए उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस को इस आधार पर निरस्त करने के लिए दायर की गई थी कि यह लाइसेंस उन्हें उनकी माता के संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान रहते हुए दिया गया था, जो संबंधित शासनादेश के अंतर्गत अस्वीकार्य है। हालांकि, राज्य के अधिवक्ता का कहना है कि शासनादेशों को संलग्न करते हुए एक प्रतिशपथपत्र दायर किया गया है, जिसमें उपरोक्त खंड का अपवाद है, अर्थात् पुत्र को ग्राम प्रधान पर पूर्णतः आश्रित होना चाहिए, जैसा कि इस मामले में नहीं है।
- किसी भी स्थिति में, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जनहित याचिका के रूप में कार्यवाही योग्य मामला नहीं है। यदि कोई हेतुक हो तो याचिकाकर्ता लाइसेंसिंग प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
- जनहित याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

7 जनवरी, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।